

॥ कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, मध्य पिण्डर रेंज थराली ॥

पत्रांक 449 / 12 दिनांक, थराली, 15 / जनवरी / 2021

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी
थराली।

विषय— जनपद चमोली के विकासखंड गैरसैण के अर्न्तगत रामगंगा नदी पर जलाशय निर्माण हेतु (क्षतिपूरक वृक्षारोपण) संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड थराली का पत्रांक 590/सि०ख०थ०/पी०-3 बैराज/दिनांक 22-10-2020 एवं मौखिक आदेश दिनांक 13-01-2020।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र एवं आपके मौखिक आदेश के क्रम में जनपद चमोली के विकासखंड गैरसैण के अर्न्तगत रामगंगा नदी पर जलाशय निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित 11.17 है० भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान तहसीलदार महोदय थराली, राजस्व उप निरीक्षक डुंग्री व स्थानीय ग्रामवासियों के साथ अनुभाग अधिकारी थराली द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार राजस्व उप निरीक्षक डुंग्री द्वारा तीन पैचों में प्रस्तावित भूमि दिखायी गयी। जिसकी आख्या निम्नानुसार है।

पैच संख्या 01 — जिसका कुल सकल क्षेत्रफल 5.00 है० है। जिसमें 40 प्रतिशत भाग चट्टानी है, अतः उक्त पैच में 60 प्रतिशत भाग (3.00 है०) पर ही वृक्षारोपण कार्य सम्भव है।

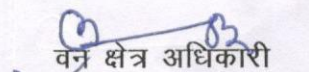
पैच संख्या 02 — जिसका कुल सकल क्षेत्रफल 5.00 है० है। जिसमें 20 प्रतिशत भाग चट्टानी है, अतः उक्त पैच में 80 प्रतिशत भाग (4.00 है०) पर ही वृक्षारोपण कार्य सम्भव है।

पैच संख्या 03 — जिसका कुल सकल क्षेत्रफल 5.25 है० है। जिसमें 20 प्रतिशत भाग चट्टानी है, अतः उक्त पैच में 80 प्रतिशत भाग (4.20 है०) पर ही वृक्षारोपण कार्य सम्भव है।

उपरोक्तानुसार कुल तीनों पैचों में $(3.00 + 4.00 + 4.20) = 11.20$ है० उपलब्ध भूमि जिसके कुछ भाग में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा वर्षाकाल में घास इत्यादि भी काटा जाता है, उनके द्वारा कहा कि उन्हें इस क्षेत्र में वृक्षारोपण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रस्तावित 11.17 है० भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने हेतु संस्तुति की जाती है।

भवदीय,


वन क्षेत्र अधिकारी
मध्य पिण्डर रेंज थराली।